95

न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, राजस्व मंडल ग्वालियर कैम्प भोपाल

प्रकरण क्रमांक 3923-II/16 निगरानी/2016

अवध नारायण आ. श्री प्रभूराम आयु वयस्क

निवासी ग्राम ईशरपुर तहसील बुदनी जिला सीहोर म0प्र0 ।............................निगरानीकर्ता

विरुद्ध

रामस्नेही आ. श्री प्रभूराम आयु वयस्क

निवासी ग्राम खवादा तहसील बुदनी जिला सीहोर ।..रेस्पाण्डेंट

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता 1959 विरुद्ध आदेश पारित दिनांक 06/06/2016 प्रकरण कमांक 16/अ-2/15-16 द्वारा श्रीमान् नायब तहसीलदार महोदय टप्पा शाहगंज जिला सीहोर

28

अभिभावक श्री .... द्वारा आज दिनांक 8/11/16 को पेश।
अधीक्षक

प्रकरण जो आहुत किये जाने है:-

01. **प्रकरण कमांक प्रकरण कमांक 16/अ-12/15-16 नायब तहसीलदार महोदय टप्पा शाहगंज जिला सीहोर म0प्र0**
02. **प्रकरण कमांक 13/अ-70/15-16 रामस्नेही विरुद्ध अवधनारायण आदि न्यायालय श्रीमान् नायब तहसीलदार महोदय, टप्पा शाहगंज जिला सीहोर म0प्र0**

श्रीमान् जी,

निगरानीकर्ता आदेश दिनांक 06/06/2016 से दुखी एंव प्रभावित होकर प्रकरण कमांक 16/अ-12/15-16 पारित आदेश से प्रभावित एंव दुखी होकर निम्न निगरानी उचित समय सीमा में प्रमाणित प्रति प्राप्त होने के बाद नियत समय सीमा में प्रस्तुत करता है:-

प्रकरण के तथ्य

01. यह कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पाण्डेंट द्वारा विधि एवं प्रकिया के विपरी[illegible] जाकर विधि विरुद्ध तरीके दुषित आदेश पारित कराते हुये प्रकरण कमांक 16/अ-12/15-1[illegible] के माध्यम से आदेश दिनांक 06/06/2016 को आधार बनाकर अवैधानिक सीमांकन ध[illegible] 129 म.प्र.भू.रा.सं. 1959 के विपरीत जाकर मेढ़िया कृषकों एवं निगरानीकर्ता को विधि[illegible] सूचना पत्र जारी किए बगैर राजस्व प्रकिया के विपरीत जाकर अवैधानिक एंव दुषित प्रवि[illegible] ...सीमांकन किया गया दिखावटी एंव फर्जी तरीके से किये ...

राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी– 3923–दो/16 जिला–सीहोर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभषक आदि के हस्ताक्षर
9–5–17 भोपाल	आवेदक के अधिवक्ता श्री एन0 एस0 ठाकुर को समय समय पर आवाज लगवाई गई, कोई उपस्थित नहीं । आवेदक एवं आवेदक अधिवक्ता के अनुपस्थित होने के कारण प्रकरण म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 35 (2) के अन्तर्गत अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। सदस्य	